

277

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर - 09 0

निगरानी क्र०-

सन्-2012--13

1- पूरन तनय कन्हैया उर्फ कंदई यादव

2- अजुद्री तनय कन्हैया उर्फ कंदई यादव

निवासी गण ग्राम जोरन तह० नौगांवजिला छतरपुर म०प्र०.. निगरानी  
- कर्तागिण

बनाम

1- पूरन सिंह तनय माखन अहीर

2- चरन सिंह तनय माखन अहीर

निवासी गण ग्राम जोरन तह० नौगांव जिला छतरपुर (म०प्र०) .. गैरनिगरानी कर्तागिण

3- म०प्र० शासन ..

श्री. राजेश चंद्रशेखर  
द्वारा आज दि. 28/6/13 को  
प्रस्तुत

[Signature]  
करन जी के कोट  
राजस्व मण्डल ग्वालियर

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर  
द्वारा प्र०क्र०-174/अपील/11-12 में पारित  
आदेश दिनांक 10.06.13 से परिवेदित होकर  
म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50  
के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

[Signature]  
Dehatund  
28/6/13

मान्यवर,

निगरानीकर्तागिण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते

है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक  
गण ने अधिधक भू प्रबंधन छतरपुर & जिन्हे आगे ब्यारम न्यायालय  
कहा जावेगा & द्वारा प्र०क्र०-2/अ-6 अ/2003-04 में पारित आदेश  
दिनांक 02.07.04 के बिन्दु न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला  
& जिन्हे आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा & आवेदक

1 के बिन्दु अपील प्रकरण क्र०- 174/अपील/11-12 दिनांक-

28.01.12 को प्रस्तुत की तथा अपील प्रस्तुति में हुये बिलंब को

- 2 -  
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-2442-दो/2013

जिला-छतरपुर

पूरन व अन्य विरुद्ध पूरन सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्र. क्र. 174/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-06-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ . पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(अमर0क0 जैन) सदस्य 18/03/19</p>